

प्रेस नोट 02.04.2021

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते फर्जी दस्तावेज दाखिल कर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त करने वाले अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर / अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते फर्जी दस्तावेज दाखिल कर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त करने वाले अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.07.2000 को थाना कोतवाली पर वादी श्रवण कुमार लाल श्रीवास्तव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा द्वारा अभियुक्त चक्रपान सिंह के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज दाखिल कर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में तहरीर दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 377/2000 धारा 420,467,468,471 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र दिनांक 10.01.2001 की धारा 420,467,468,471 भादवि में मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । थाना कोतवाली पुलिस टीम एवं मानीटरिंग/पैरवी सैल व अभियोजन अधिकारी श्री अनार सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. चक्रपान सिंह पुत्र अचल सिंह ग्राम चौबेपुर थाना सैफई जनपद इटावा ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा